राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 117/2025 निगरानी

धीरज कंवर पत्नी बहादुर सिंह राजपूत निवासी मानसिंह जी का खेड़ा उर्फ मानसिंह जी का झुपड़ा, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1. गोपाल कंवर पत्नी गजराज सिंह राजपूत, निवासी मानसिंह जी का खेड़ा उर्फ मानसिंह जी का झुपड़ा, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा 2. ग्राम पंचायत रीठ जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रीठ, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा
–निगराकार		**–गैर निगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत रीठ द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.01.2021

उपस्थित – श्री संदीप जैन, अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांकः– 6 .05.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2020 को पुश्तैनी मकान का पट्टा दिलाने बाबात गैर निगराकार संख्या 02 के यहां प्रस्तुत किया जिस पर गैर निगराकार संख्या 02 ने पत्रावली संख्या 16 दिनांक 09.07.2020 कायम कर दिनांक 05.11.2020 को 19 फिट बाई 142 फिट भू–भाग का पट्टा जारी कर दिया, उक्त जारी किया गया पट्टा रास्ते का भू–भाग है और उक्त रास्ते से निगराकार एवं जनसामान्य वर्षों से आवागमन करते चले आ रहे है, इस प्रकार उक्त तथाकथित पट्टे जारी करने से निगराकार के हको एव अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है, इतना ही नहीं उक्त पंचायत द्वारा दिनांक 05.11.2020 को पारित विक्रय आदेश व उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया है, उसमें भारी अनियमितता, अवैधानिकता कारित करने के साथ–साथ, फर्जी एवं कूटरचित तरीके अपनाये गये, इस कारण निगराकार द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी। गैर निगराकार संख्या 01 कत्तई मूल निवासी ग्राम मानसिंह जी का खेडा उर्फ मानसिंह जी का झुपड़ा का नहीं है बल्कि वह पिछले कुछ वर्षो से ही यहां पर आबाद हुआ है। गैर निगराकार संख्या 01 का मूलतः निवास स्थान सालमपुरा उर्फ तिदूडी, ग्राम पंचायत दौलपुरा, तहसील माण्डलगढ़ का है, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 का कोई किसी प्रकार का पुश्तैनी मकान मानसिंह जी

6.5.26

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

का खेडा उर्फ मानसिंह जी का झुपडा में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तो फिर गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा इस संबंध में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना ही सर्वथा गलत, मिथ्या एवं बेबुनियाद था व है किन्तु गैर निगराकार संख्या 01 ने जानबुझकर रास्ते की भूमि पर किये गये अवैध अतिचार को जायज ठहराने के दुराशय से गैर निगराकार संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी से आपसी मिलाभगती एवं सांठगांठ कर तथाकथित पट्टा बिना विधिक औपचारिकताये पूरी किये प्राप्त किया है जो किसी कदर न तो विधि के अनुकूल है और न सामाजिक दृष्टि के ही अनुकुल है और **इस संबंध में निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के बीपीएल सूची सन् 2002 ग्राम सालमपुरा एवं मतदाता सूची वर्ष 2014 ग्राम सालमपुरा एवं मतदाता सूची जिला परिषद निर्वाचन की अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, जिसमें निगराकार गोपाल कंवर एवं उसके पति श्री गजराज सिंह को ग्राम सालमपुरा उर्फ तिदूडी, ग्राम पंचायत दौलपुरा, तहसील माण्डलगढ़ का निवासी दर्शाया गया है, इतना ही नहीं सालमपुरा में ही गजराज सिंह के खातेदारी अधिकार की आराजीयात है, जिसकी जमाबन्दी भी अवलोकनार्थ पेश है।** अधीनस्थ ग्राम पंचायत की उक्त तथाकथित पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.10.2020 में यह अंकित किया गया है कि सचिव ग्राम पंचायत के मकान का नक्शा दिनांक 04.10.2020 को बनाया जो पत्रावली में संलग्न है तथा स्थल निरीक्षण करने हेतु 3 वार्डपंच अनिल सेन, संदीप पारीक एवं माधु भील की कमेटी की प्रतिनियुक्ति की जाती है जो 15 दिन में स्थल निरीक्षण कर अपनी राय व्यक्त करें, पत्रावली आगामी कौरम में पेश हो। जबकि जो नक्शा आबादी भूमि में पुश्तैनी मकान का प्रस्तुत किया गया है, उस पर दिनाक 09.07.2020 अंकित है तथा सरपंच के रूप में योगिता शर्मा के हस्ताक्षर है। मौके पर तत्कालीन समय में कोई मकान ही निर्मित नहीं था। इस प्रकार आदेशिका दिनांक 05.10.2020 में मकान का नक्शा सचिव द्वारा दिनांक 04.10.2020 को बनाये जाने का उल्लेख किया है, जबकि दिनांक 04.10.2020 का कोई नक्शा ही पत्रावली पर नहीं है और न दिनांक 04.10.2020 को कोई नक्शा ही बनाया गया है और न बनाया जा सकता है क्योंकि दिनांक 04.10.2020 को रविवार होकर राजकीय अवकाश था तो फिर सचिव द्वारा उक्त दिनांक को नक्शा बनाये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, इस प्रकार सर्वथा फर्जी एवं कूटरचित तरीके से तथाकथित विक्रय आदेश तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया है, जो किसी भी कदर वैध एवं जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, जब पत्रावली ही दिनांक 05.10.2020 को 09.07.2020 के बाद सीधे कौरम में प्रस्तुत किया जाना बताया गया है तो फिर उससे पूर्व ही किस प्रकार एवं कैसे नक्शा तैयार किया जा सकता है, जबकि इस संबंध में जब पत्रावली पर नक्शा आबादी भूमि का बताया गया है वह दिनांक 09.07.2020 का बताया गया है, वह भी फर्जी एवं कूटरचित है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की तथाकथित आदेशिका दिनाक 05.10.2020 में तीन वार्डपचों की प्रतिनियुक्ति की जाना बताया जाता है और आदेशिका दिनांक 20.10.2020 में तीन वार्डपंचो की कमेटी द्वारा दिनांक 15.10.2020 को पुश्तैनी मकान का स्थल निरीक्षण किया जाना बताया जाता है तो फिर तथाकथित आदेशिका दिनांक 05.11.2020 में दिनांक 25.10.2020 को नजरी नक्शा सचिव द्वारा बनाया जाना बताया जाना दिनांक 28.10.2020 को स्थल निरीक्षण हेतु तीन वार्डपंचो की कमेटी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिनियुक्त करना बताया जाना एवं दिनांक 01.11.2020 को तीन वार्डपंचो की कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना बताया जाना पूर्णतयाः विरोधाभासी है अर्थात् आदेशिका दिनांक 05.11.2020, 20.10.2020 एवं 05.10.2020 में अंकित तथ्य ही पूर्णतयाः एक दूसरे के विपरित होकर विरोधाभासी है। जो गैर निमराकार संख्या 02 की घोर लापरवाही एवं अनियमितता का परिचायक होकर गैर निगराकार संख्या 01 से मिलाभगती एवं दुर्भिसन्धि का ही द्योतक ज्यादा लगता है। गैर निगराकार संख्या 02 जो कि अपने आप में एक स्वायत्तशासी लोक कल्याणकारी संस्था/ गांवो की सरकार है जिसके द्वारा ही इस प्रकार से गलत, अवैध, अनैतिक दुराचरण एवं अवैधता कारित कर तथाकथित पट्टा जारी करने की कार्यवाही की गयी है जो एक गंभीर अपराध की परिधि में आता है। इस प्रकार जब एक जिम्मेदार संस्था ही गलत एवं अवैध कार्य करेगी तो फिर सामान्य जनमानुष से क्या आशये एवं अपेक्षाये की जा सकती है। गैर निगराकार संख्या 02 का उक्त पत्रावली में की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वथा विधि के विपरित होकर काबिल अपास्तगी के है। दिनांक 05.11.2020 की अधीनस्थ ग्राम पंचायत की उक्त पत्रावली की तथाकथित आदेशिका अपने आप में हास्यास्पद से अधिक कुछ नहीं लगती है क्योकि दिनांक 05.11.2020 की तथाकथित आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि **"दिनांक 20.11.2020 में सीमाज्ञान पटवार हल्का द्वारा सरपंच/ग्राम सेवक/वार्ड पंच की उपस्थिति में किया गया था एवं दिनांक 05.12.2020 को नियम 148 के तहत एक मास की अवधि का आपत्ति पत्र जारी किया जाकर आपत्ति मांगी गयी। जिसमें एक भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः नियम 149 के तहत आपत्तियो का निस्तारण बकाया नहीं है। अतः पत्रावली निर्णय हेतु पेश है।"** जबकि दिनांक 05.11.2020 के बाद निर्विवाद रूप से दिनांक 20.11.2020 एवं 05.12.2020 आती है तो फिर दिनांक 05. 11.2020 को ही आगामी तारीखो में मौका निरीक्षण, सीमाज्ञान, आपत्ति नोटिस एवं उसका निस्तारण दिनांक 05.11.2020 को ही किये जाने के संबंध में जो तथ्य अंकित किये गये है वो अपने आप मिथ्या, गलत एवं मिलाभगती का ही एक नमूना मात्र है, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ने आपसी मिलाभगती कर आपराधिक षड्यंत्र रच तथाकथित पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 को जारी करने में घोर अनियमितता, अवैधानिकता एवं अनैतिक आचरण किया है, इस हेतु उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही भी संस्थित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत होगा ताकि निज भविष्य में किसी भी लोक कल्याणकारी सरकारी संस्थाओ के पदाधिकारी अपने पदो का दुरूपयोग कर अनैतिक आचरण अपना सरकारी बहुमूल्य भूमियो को अपनी मनमर्जी से अपने चहेतों को देने से बाज आ सके तथा लोक कल्याणकारी सरकारो का सामाजिक हित एवं जनहित सुरक्षित रह सके। जहां तक जिस तथाकथित भू–भाग का पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 को दिया गया है वह रास्ते का भू–भाग है और इस संबंध में गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा रास्ते के भू–भाग पर किये गये अवैध अतिचार को हटाने के सबंध में गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा अवैध अतिचार की कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसकी पत्रावली संख्या 01/2019 कायम की गयी जिसका अनवान ज्वाला सिंह बनाम गजराज सिंह है और उक्त कार्यवाही में गैर निगराकार संख्या 01 व उसकी पत्नी श्रीमती गोपाल कंवर, पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह आदि को अवैध अतिक्रमण के संबंध में

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा नोटिस जारी किये गये तथा बाद विधिवत् कार्यवाही दिनांक 20.09.2019 को उक्त व्यक्तियो के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमी मानते हुऐ रास्ते की भूमि से अतिक्रमण को हटाकर रास्ता खुलासा करने का निर्णय लिया और जिसकी पालना हेतु सक्षम अधिकारी से पुलिस जाब्ता लिया जाकर अतिक्रमण को हटाया (ध्वस्त) किये जाने का आदेश पारित किया तो फिर उक्त रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की भूमि को ही पुनः गैर निगराकार संख्या 01 को पुश्तैनी मकान के पट्टे आदि के रूप में दिये जाने का आलौच्य आदेश दिनांक 05.11.2020 को पारित करना सर्वथा गलत एवं अवैध है, ऐसी हालत में पारित आदेश दिनांक 05.11.2020 प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य होने से इसकी पालना में दिया गया पट्टा भी सर्वथा गलत होकर काबिल निरस्तगी के है। यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि अव्वल तो रास्ते की भूमि का कभी भी पट्टा किसी भी कदर विधि के तहत नहीं दिया जा सकता है, इतना ही नहीं गैर निगराकार संख्या 01 का कोई पुश्तैनी मकान ही ग्राम मानसिंह जी का खेडा उर्फ मानसिंह जी का झुपडा में नहीं है, न कभी रहा है तो फिर उक्त तथाकथित पट्टा ही पुश्तैनी मकान का नहीं दिया जा सकता है। गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी से आपसी मिलाभगती एवं दुरभिसन्धि कर एक ही दिन में एक ही व्यक्ति द्वारा सारी ही विधिवत् औपचारिकताये अपने तही विधि के विपरित पूर्ण करते हुऐ आलौच्य आज्ञा एवं तथाकथित पट्टा प्राप्त किया है जो विधि के सर्वथा विपरित होकर काबिल अपास्तगी के है। निगराकार द्वारा एक वाद अपनी जायदाद के संबंध में विपक्षी गैर निगराकार संख्या 01 एवं उसके परिवारजन के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय सिविल न्यायाधीश, कोटडी के यहां प्रस्तुत किया जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 13/2015 कायम हुऐ। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय कोटडी द्वारा दिनांक 12.06.2017 को खारिज करने के उपरान्त उसकी अपील जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के यहां प्रस्तुत की गयी। जिसके प्रकरण संख्या 41/2017 अपील अहकाम कायम होकर उक्त अपील दिनांक 18.07.2020 को स्वीकार की गयी है और माननीय जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश के द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 एवं उसके परिवारजन को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर यह आदेश पारित किया गया है कि **"वे मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीया (निगराकार) को उसके भूखण्ड से जबरन बेदखल ना करे, उसके उपयोग में हस्तक्षेप न करे तथा भूखण्ड के पूर्व और दक्षिण दिशा में स्थित रास्ते में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण व निर्माण करके रास्ते को अवरूद्धित नहीं करे, करावे और ना ही रास्ते के संबंध में प्रार्थीया (निगराकार) के हको एवं अधिकारी में कोई अवरोध, दखलअन्दाजी करे तथा प्रार्थीया द्वारा तथाकथित रूप से रास्ते की जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये ग्राम पंचायत विधिनुसार कार्य के लिए स्वतंत्र है।"** उक्त आदेश में ग्राम पंचायत को अवैध अतिक्रमण हटाने के संबंध में सक्षम जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है और उसकी पालना में निगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र भी ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 के यहा प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु गैर निगराकार संख्या 02 ने अवैध अतिक्रमण को न हटाकर न्यायालय आदेश की जानबुझकर घोर अवहेलना एवं अवमानना करते हुऐ उक्त अतिक्रमण भू–भाग का ही पट्टा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

धारा 157 पंचायत राज अधिनियम के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को दे दिया जो एक प्रकार से न्यायालय आदेश की जानबुझकर की गयी अवहेलना हो, अवमानना है, इस हेतु प्रार्थीया अलग से कार्यवाही संस्थित करायेगी किन्तु न्यायालय आपसे ही विनम्र निवेदन है कि आप जो कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत के प्रशासनिक सक्षम अधिकारी है, आप भी गैर निगराकार संख्या 02 के किये गये उक्त दुस्साहस को एवं अवैध कार्यों को मध्यनजर रखते हुऐ गैर निगराकार संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण संस्थित करावे जिससे न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित होने के साथ–साथ गैर निमराकार संख्या 02 के जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यो एवं दायित्वों का विधि के तहत निवर्हन कर सके। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ने कानून की सरेआम जानबुझकर धज्जिया उठाते हुऐ तथाकथित कार्यवाही उक्त पटटे जारी करने के संबंध में की गयी है जो प्रारभ से ही गलत अवैध शुन्य होकर काबिल अपास्तगी के है। उक्त वाद / अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में न्यायालय सिविल न्यायाधीश, कोटडी द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट भी विधिवत प्रस्तुत हुई है जिसमें भी तथाकथित पट्टे के भू–भाग की आराजीयात को रास्ते का भू–भाग दर्शाया गया है. इतना ही नहीं इस संबंध में एक अन्य प्रकरण जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश कोटडी में चला है, उसमें भी उक्त भू–भाग को रास्ते का ही भू–भाग दर्शाया गया है, इस प्रकार रास्ते के भू–भाग का पट्टा जारी करने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने भारी विधिक भूल की है। उक्त पत्रावली में जो शपथपत्र गोपाल कंवर का दिनांक 06.12.2019 को प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, जबकि पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र ही दिनांक 09.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है इससे पूर्व ही शपथपत्र प्रस्तुत करना अपने आप में हास्यास्पद होकर गलत है, इस प्रकार मिलाभगती कर खानापूर्तिया की गयी है, वैसे भी पड़ौसी के शपथपत्र के रूप में राम कंवर पत्नी श्री रणजीत सिंह एवं फतेह सिंह पिता रूपसिंह आदि के शपथपत्र प्रस्तुत हुए है जो दोनो प्रार्थीया से काफी समय से रंजिश रखते है। साथ ही जो फोटो तथाकथित स्थल के लगे हुऐ है. वे ही फोटो गैर निगराकार संख्या 01 के पति द्वारा प्रस्तुत पत्रावली 70/08.12.2004 में लगे हुऐ है, इस प्रकार गैर निगराकारान ने आपसी मिलानगती एवं दुरर्भिसन्धि कर विधि की सारी औपचारिकताओं को नजर अन्दाज कर तथाकथित विक्रय आदेश/पट्टा प्राप्त किया है, जो प्रारंभ से ही गलत होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा जो आपत्ति सूचना पत्र आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 05.12.2020 को जारी किया जाना बताया जाता है, जबकि उससे पूर्व ही दिनांक 05.11.2020 को ही पट्टा जारी करने की आज्ञा पारित कर दी जाती है जो गैर निगराकार संख्या 02 की मिलाभगती का द्योतक है दिनांक 05.12.2020 को जो आपत्ति पत्र जारी किया गया और उसमें जो हस्तलिपी में अंकन किया गया है वह काबिल गौर के है क्योकि उक्त अंकन में जिला न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2020 के तहत दिनांक 15.12.2020 की मौका पर्चा ग्राम वासियों के समक्ष बनाया जाना बताया गया है और दिनांक 05.01.2021 को पट्टा जारी किया जाना दर्शाया है जो कदापि संभव नहीं है अर्थात दिनांक 05.12.2020 के नोटिस पर उक्त अंकन कैसे एवं किस प्रकार किया जा सकता है यह कदापि संभव नहीं है। इतना ही नहीं विधि के तहत जब सक्षम

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय में रास्ते की भूमि मानते हुऐ उस पर गैर निगराकार एवं उसके परिवारजन का अवैध कब्जा माना गया है तो फिर दौराने वाद कोई किसी प्रकार का पट्टा उक्त भू–भाग का जारी नहीं किया जा सकता है बल्कि उक्त जानकारी होते हुऐ भी ऐसा किया जाना एक प्रकार से न्यायालय आदेशो की अवहेलना एवं अवमानना है, इस प्रकार सारी ही अवैधानिकता एवं मिलामगती कर आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जो काबिल अपास्तगी के है। गैर निगराकार संख्या 01 के पति गजराज सिंह ने भी उक्त तथाकथित पटटेसुदा भू–भाग से लगा हुआ भू–भाग का पट्टा प्राप्त करने हेतु गैर निगराकार संख्या 02 के यहां इसी प्रकार आपसी मिलाभगती एवं दुरर्भिसन्धि कर प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2004 को प्रस्तुत किया जिसकी पत्रावली संख्या 70 दिनांक 08.12.2004 को कायम करते हऐ दिनांक 05.11.2020 को ही अर्थात एक ही दिन दिनांक को दोनो पटटे दोनो पति–पत्नी को जारी किये गये है जबकि गजराज सिंह गोपाल कंवर का पति होकर शामिल शरीक रहते हैं तो फिर उसका पुश्तैनी मकान ग्राम मानसिंह जी का खेड़ा उर्फ मानसिंह जी का झुपडा में होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 01 व 02 ने विधि की व्यवस्थाओं के विपरित जाकर आपसी मिलाभगती एवं दुरर्भिसन्धि कर तथाकथित पट्टे प्राप्त किये है जो प्रारंभ से ही अवैध, शून्य होकर काबिल निरस्तगी के है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं उसके तहत बने हुऐ नियमो की कोई किसी प्रकार से पालना ही नहीं की है तथा न नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की मंशा को सही ढंग से न समझ अर्थात् उक्त प्रावधान के तहत पट्टा पुश्तैनी मकानों का जारी किया जाता है जबकि तथाकथित पट्टा जिसका जारी किया गया है वह मकान न होकर भूखण्ड के रूप में है, जो नजरी नक्शे से भी प्रमाणित है, इतना ही नहीं स्वयं गैर निगराकार संख्या 02 के वर्तमान सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ने जिस स्थल का पट्टा दिया है, उस स्थल पर गैर निगराकार संख्या 01 का अवैध कब्जा मानते हुऐ हटाने के संबंध में कार्यवाही करने हेतु संबंधित थानाधिकारी कोटडी के यहां दिनांक 19.05.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 02 को पूर्णतयाः जानकारी में है कि उक्त स्थल रास्ते का भू–भाग है फिर भी गैर निगराकार संख्या 02 ने अपनी स्वतंत्र स्वीकारोक्ति से परे जाकर तथाकथित पट्टा गलत, अवैध तरीके से जारी किया है जो काबिल अपास्तगी के है। यहा यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि जो फोटो ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न किये हुऐ थे, उन फोटो आदि की नकल निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 ग्राम पंचायत से प्राप्त की गयी उसके उपरान्त न्यायालय आप में निगरानी प्रस्तुत हो जाने से उक्त पत्रावली पट्टे की तलब की गयी जिसमें जो फोटो आये है, उसमें अवैध तरीके से अंकन करते हुऐ उसमें **स्वीकृत आवास निर्माण वर्ष 2006–2007 मानसिंह जी का खेडा उर्फ झूपडा, ग्राम पंचायत रीठ, पंचायत समिति कोटडी** अपने तही अंकित कर दिया जो पूर्व में प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियो से पूर्णतयाः सिद्ध हो रहा है, इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी अपनी आपराधिक प्रवृत्तियो से बाज नहीं आ रहे है और जानबुझकर गलत एवं मिथ्या कार्यवाहिया कर रहे है, जिसे किसी कदर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है, यहा यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि ग्राम विकास अधिकारी का पदनाम आदेश दिनांक 05.

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

04.2018 व इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2021 राजस्थान पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 से ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी पदस्थापित किया गया है अर्थात् इससे पूर्व ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम सेवक/सचिव के नाम से ही जाना जाता था इस हेतु अधिसूचना की प्रति संलग्न की जा रही है, किन्तु पत्रावली में उक्त संशोधन से पूर्व ही ग्राम विकास अधिकारी की पदीय हैसियत से कार्यवाही की गयी है जो अपने आप उक्त कार्यवाही अपनेतही मिलाभगती कर गलत एवं अवैध तरीके से पश्चातवर्ती किये जाने का ही परिचायक है. इतना ही नहीं विधि के तहत नियम 161 पंचायत राज अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहां किसी जायदाद को लेकर विवाद हो, वहां पर उसका जायदाद को किसी कदर विक्रय, रहन आदि कर हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है और निर्विवाद रूप से जिस विवादित स्थल का पट्टा दिया गया है, उसके संबंध में काफी वर्षों से रास्ते आदि के विवाद सक्षम न्यायालयो में लम्बित चले आ रहे है, जिसकी जानकारी होते हएे भी उक्त पट्टा जारी किया जाना सर्वथा गलत होकर अवैध था व है। अतः निगराकार निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 16 दिनांक 09.07.2020 में पारित आज्ञा दिनांक 05.11.2020 को अपास्त करते हुऐ इस संबंध में जारी किये गये पट्टे को निरस्त फरमाया जावे।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

गैर निगराकार संख्या– 1 के प्रस्तुत जवाब अुनसार निगराकार द्वारा तथ्यों के विपरीत कतई बेबुनियाद व गलत निगरानी प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत रीठ् ने नियमानुसार पंचायत एक्ट के तहत कार्यवाही कर आवेदन, नक्शा मौका, आपत्ति आमंत्रित सूचना, मौका निरीक्षण, पडौसी के शपथपत्र एवं सहमति व अनापत्ति पत्र जारी कर नियमानुसार पट्टा जारी किया है एवं नियमानुसार पट्टे का रजिस्टर्ड डीड सम्पादित किया है। निगराकार धीरज कंवर का पति बहादुरसिंह राजपुत राजकीय सेवा में होकर पंचायत समिति कोटडी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर वर्षों से कार्यरत है। निगराकार के पति पंचायती राज में जुडा होने के कारण समय समय पर अपने पद का दुरूपयोग करता चला आया, इस कारण से वर्षों तक गैर निगराकार एक गरीब बीपीएल परिवार को अपने मकान का पट्टा प्राप्त नहीं हो सका। वर्षों तक विभिन्न न्यायालय में मुकदमेबाजी का सामना करना पडा है। गैर निगराकार के नाम से इन्द्रा आवास योजना में वर्ष 2007 में आवास स्वीकृत हुआ और गैर निगराकार ने अपने कच्चे मकान के स्थान पर इन्द्रा आवास में पक्का मकान बनाया है। वर्षों से इसी स्थान पर निवास करता चला आ रहा है। आवास पर विद्युत कनेक्शन भी लगा हुआ है, जिसके बिल पेश है, जो कि करीब 12 वर्षों से भी अधिक पुराने होकर गैर निगराकार गजराजसिंह के नाम से राशन कार्ड भी पेश है, जो आरोप लगाये है, वह गलत व बेबुनियाद है। नियमानुसार पत्रावली कायम होकर माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के आदेशों की पालना में मौका देखकर पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली में माननीय जिला न्यायाधीश का आदेश अवलोकन किया जा सकता है। वर्ष 2017 में जिला न्यायाधीश भीलवाडा के फैसले द्वारा ग्राम पंचायत को कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र किया तब

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जाकर पट्टा बनाया, इस कारण से वर्षों से पत्रावली में कार्यवाही रुकी रही। निगरानी की कलम स० 6 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। जवाब इस प्रकार है कि गैर निगराकार के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही करने के बाद माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के प्रकरण सं0 41/2017 के निर्णय दिनांक 18-07-2020 की पालना में ग्राम पंचायत रीठ के द्वारा दिनांक 15-12-2020 को मौका पर्चा बनाकर मौका स्थिति के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार दिनांक 05-01-2021 को पट्टा सं० 8 बुक सं० 6 जारी किया वह पूर्ण रूप से सही है। जब विभिन्न न्यायालय में मामला चलते रहे एवं अन्त में जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के आदेश की पालना कर विधिवत ग्राम पंचायत रीठ ने पट्टा जारी किया है। मौका पर्चा भी सभी नियमों को विस्तार से जांच कर जिसमें गजराजसिंह के पूर्ण रूप से सही पाये जाने से पट्टा जारी हुआ है। इन्द्रा आवास के मकान का पट्टा जारी करना ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है, केवल मात्र निगराकार धीरज कंवर के पति बहादुर सिंह सचिव के सरकारी पद पर होने से कार्यवाही प्रभावित रही है। निगराकार व गैर निगराकार गजराजसिंह एक ही परिवार के होकर आपस में रिश्तेदार है, परन्तु आपस में सामाजिक विवाद होने के कारण से आपसी रंजिश रखते है, इस कारण से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जबकि मौके पर दोनों पक्ष शांतिपूर्वक अपने भूखण्ड पर काबिज होकर अपना अपना सम्पूर्ण जायदाद पर निर्माण कर रखा है। निगराकार ने आपसी रंजिश के कारण यह निगरानी पेश की है। दिनांक 15-12-2020 के मौके पर्चा के अनुसार गैर निराकार का किसी भी प्रकार से किसी रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा अतिक्रमण नहीं है एवं न ही मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता ही अवस्थित है। सक्षम न्यायालय में बाद लम्बित होने एवं वर्तमान में भी निगराकार द्वारा जो स्थायी निषेधाज्ञा का दावा सिविल न्यायाधीश, कोटडी में प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। इस प्रकार दौराने मुकदमें बाजी में पारित किसी प्रकार के आदेश की इस निगरानी में कोई औचित्य नहीं है। निगराकार द्वारा तथ्यों का संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार इस निगरानी में प्राप्त न होकर निगरानी का स्कॉप मात्र पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की वैधता को देखने तक का ही है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने नियमानुसार पंचायत एक्ट के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही विधि के तहत सम्पादित कर समय समय पर न्यायालयों के आदेशों की पालना की है एवं पालना के उपरांत विधिवत मौके का निरीक्षण कर नियमानुसार बीपीएल परिवार होने, इन्द्रा आवास में आवास होने और सारी परिस्थितियों का मौके पर अवलोकन करने के पश्चात ही विधि सम्मत पट्टे जारी कर रजिस्टर्ड करवाए है, ऐसी स्थिति में निगराकार की निगरानी प्रथम दृष्ट्या ही काबिल खारिज के है। निगराकार को गैर निगराकार के परिवार के बाबत एवं मौके पर कच्चा मकान पक्का मकान बनने, इन्द्रा आवास में बनने एवं बीपीएल परिवार होने, बिजली होने एवं मौके पर गैर निगराकार के मकान में किसी प्रकार का रास्ता अवस्थित नहीं होने की समस्त जानकारी है, फिर भी निगराकार एक ही परिवार के होते हुए भी रंजिश के कारण एवं उनके पति के ग्राम विकास अधिकारी के पद पर होने के कारण उसका दुरूपयोग कर इस गरीब गैर निगराकार को मकान से रहित करना चाहते है, उसी के कारण यह निगराकार ने हर दोनों गैर निगराकार सं० 1 एवं उसके पति गजराजसिंह के विरूद्ध गलत व बेबुनियाद मौके के

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6.5.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपरीत निगरानी प्रस्तुत की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। गैर निगराकार सं० 1 के नाम पर जारी पट्टे में किसी भी प्रकार का गैर कानूनी तथ्य नहीं है एवं निगराकार को निगरानी प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी गलत, विधि विरूद्ध, निराधार एवं मौके से विपरीत होकर खारिज किए जाने योग्य होने से सव्यय खारिज फरमायी जावें।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि, सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2020 अनुसार गैर निगराकार गोपाल कंवर पत्नी गजराज सिंह को अतिक्रमी घोषित करते हुए ग्राम पंचायत को विधिनुसार अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया। ग्राम पंचायत रीठ, पंचायत समिति कोटडी के इंतजामी पत्रावली सं0 01/2019 फैसल दिनांक 20.09.2019 द्वारा गैर निगराकार सं0 1 को अतिक्रमी मानते हुए रास्ता खुलासा करने हेतु आदेश जारी किया गया। ग्राम पंचायत रीठ द्वारा रास्ते की भूमि पर जारी किया प्रश्नगत पट्टा पंचायतीराज अधिनियम में विहित नियमों के विपरीत जारी किया गया है। इस प्रकार के विधि विरूद्ध तरीके से जारी पट्टे प्रारम्भ से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत रीठ द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.01.2021 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के विहित नियमों के विरूद्ध होने से खारिज किया जाना उचित ठहरता है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत रीठ द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.01.2021 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के विहित नियमों के विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत रीठ, पंचायत समिति कोटडी, तहसील कोटडी, जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.5.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)